न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 32 / 2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019 / 00125

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली		1. श्री घीसा पुत्र चतराजी चौधरी, निवासी गुडा अखेराज, तहसील देसूरी 2. श्री गोमा पुत्र चतराजी चौधरी, निवासी गुडा अखेराज तहसील देसूरी 3. श्री पेमा पुत्र चतराजी चौधरी, निवासी गुडा अखेराज तहसील देसूरी 4. सरपंच, ग्राम पंचायत केसूली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिव्यप्रकाश द्विवेदी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 3-3-21

प्रार्थी विकास अधिकारी देसूरी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ग्राम गुडा अखेराज ग्राम पंचायत केसूली में मिसल संख्या 143 / 82–83 में पारित आदेश की पालना में पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.09.1986 जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.09.1986 क्षेत्रफल 9213 वर्गफिट का जारी कर दिया गया। भूमीधारी तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 19 / 134 दिनांक 04.02.2019 के अनुसार ग्राम गुड़ा अखेराज के खसरा नम्बर 5 में सिवायचक भूमी में जारी किया गया है। आबादी भूमी में नही इस लिए जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा निरस्त योग्य है। पट्ट में भूमी का क्षेत्रफल 9213 वर्गफिट अंकित है वास्तव में मौके पर 8880 वर्गफिट ही होता है। मौके पर पट्टा अधिक आराजी का जारी किया गया है इसलिए भी प्रस्ताव एवं पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टा मात्र 31 रूपये में ही दिया जाना अंकित है जो राजस्थान पंचायत राज नियम 266 के अनुरूप नहीं है नियम 266 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण का प्रावधान है इसमें भूखण्ड के किसी भी भाग पर किसी प्रकार का निर्माण किया हुआ नहीं होने से उक्त नियमों के तहत पट्टा विधी विरूद्ध जारी किया किया गया है। पट्टे पर नक्शा नवीस के हस्ताक्षर नहीं है तथा ग्राम पंचायत में जिस मिसल के तहत पट्टा जारी होना उल्लेखित किया है उक्त मिसल ही उपलब्ध नहीं है जिसमें पंचायत राज नियमों की पालना किए जाना सिद्ध नही हो सकता है उपरोक्त सभी आधारों पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। तहसीलदार देसूरी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। जो पडोसी ओटसिंह से मिली भगत कर जैर निगरानी भूमी हड़पने की नियत से की गई है प्रार्थी का जा[illegible] नाप के आधार पर खारिज किया जाना विधी सम्मत नहीं [illegible] प्रश्न है तो नियमानुसार जो भी कम राशि है वह अप्रार्थी आज भी [illegible] कराने के लिए तत्पर है। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है [illegible] पर सचिव के हस्ता[illegible] नहीं है तो यह पंचायत का दायित्व है इसके लिए अप्रार्थी को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश...................2

जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा 23.09.1986 को जारी किया गया है इतने लम्बे अन्तराल के बाद इसे प्रश्नगत किया गया है जो म्याद के आधार पर भी खारिज योग्य है। सिविल न्यायालय देसूरी के प्रकरण संख्या 08/2019 में जारी आदेश दिनांक 09.02.2021 की प्रति पेश की गई। उसके अनुसार मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिए है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली तथा ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गयां ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा राजकीय सिवायचक भूमी ग्राम गुडा अखेराज के खसरा नंबर 5 में जारी किया गया है जो पंचायत की आबादी भूमी ही नही है यह तथ्य भूमीधारी तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/19/134 दिनांक 04.02.2019 से स्पष्ट है राजस्थान पंचायती राज नियम 140 के अनुसार पंचायत नजूल आबादी भूमी में ही पट्टा जारी कर सकती है ऐसी स्थिति में जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नूजूल आबादी भूमी में जारी नही कर सरकारी भूमी खसरा नंबर 5 में जारी किया जाना स्पष्ट होने से पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

जैर निगरानी पट्टा पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 266 के अनुसरण में जारी किया गया है नियम 266 के तहत मात्र 31 रूपये में भूखण्ड 9213 वर्गफीट का पट्टा जारी नहीं किया जा गया है। मकान का विनियिमतीकरण नहीं कर पट्टा जारी किया गया है इस कारण से भी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 03.09.1986 लिया गया उसमें 101 रूपये शुकराना तय कर पट्टा जारी किया जाना अंकित है। जबकि पट्टे में मात्र 31 रूपये जमा कराना अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार राशि वसूल नहीं किये जाने से भी पट्टा निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। एंव जैर निगरानी तथा कथित मिसल संख्या 143/1982–83 में पारित ग्राम पंचायत के आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.09.1986 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3-3-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested